भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक पर स्टेकहोल्डर सम्मेलन एवं प्री-बिड बैठक का आयोजन

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2016 : नागर विमानन मंत्रालय द्‌वारा दिनांक 11 नवम्बर, 2016 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली में स्टेकहोल्डर सम्मेलन एवं प्री-बिड बैठक का आयोजन किया गया ।

श्री अशोक गजपति राजू,माननीय नागर विमानन मंत्री द्‌वारा 21 अक्टूबर, 2016 को क्षेत्रीयसंपर्क योजना-उड़ान आरंभ की गई तथा क्षेत्रीय संपर्क योजना का अंतिम रूप नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है (कृपया वेबसाइट http://www.civilaviation.gov.inदेखें view all "In focus" पर क्लिक करें) । क्षेत्रीय संपर्क योजना का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को किफायती बनाकर इसे सुगम बनाना/प्रोत्साहित करना है । केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) द्‌वारा ऐसे मार्गों पर एयरलाइन प्रचालनों की लागत एवं संभावित राजस्वों के बीच अंतराल, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता (वायाबिलिटी गैप फंडिग अर्थात वी जी एफ) के माध्यम से चयनित एयरलाइन प्रचालक (कों) को सहायता प्रदान करके हवाई संपर्क को बढ़ावा देने की संकल्पना की गई है । डीजीसीए द्‌वारा जारी वैध एयर आपरेटर परमिट धारी उन एयरलाइन प्रचालकों से वी जी एफ के लिए प्राप्त प्रारंभिक प्रस्ताव (वों) तथा काउंटर प्रस्ताव (वों) के मूल्यांकन के आधार पर चयन किए गए एयरलाइन प्रचालक को क्षेत्रीय संपर्क योजना से संबंधित रूट अथवा नेटवर्क पर प्रचालन हेतु चिन्हित किया जाएगा ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण(भाविप्रा)को इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है । प्रथम चरण के लिए सूचना आमंत्रण प्रस्तावों (एनआईपी) को जारी एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है । प्रस्ताव की देय तारीख (पीडीडी) 05.12.2016 को 1730 बजे तक है (पंजीकरण के लिए कृपया वेब पेज http://www.aai.aero/publicnotices/aaisite_test/Rcs-na.jsp देखें ।

आर सी एस - उड़ान पर प्रस्तुतिकरण श्री जयंत सिन्हा, माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री एवं श्री आर.एन. चौबे, सचिव नागर विमानन द्‌वारा किया गया ।

एम एस टी सी, जिसे आर सी एस-उड़ान के लिए ई-बिडिंग पोर्टल विकसित करने का कार्य दिया था, ने सम्मेलन के दौरान ई-बिडिंग प्रक्रिया के बारे में प्रस्तुति प्रस्तुत की ।सम्मेलन में राज्य सरकारकी राय भी ली गई ।

--

जनसंपर्क निदेशालय द्‌वारा जारी
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :
म.प्र.(जनसंपर्क), 9811521881, 011-24622787
सं0 49/2016-17

नागर विमानन मंत्रालय द्‌वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली में क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक पर स्टेकहोल्डर सम्मेलन एवं प्री-बिड बैठक का आयोजन किया गया ।

<u>भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण</u>

<u>प्रैस विज्ञप्ति</u>

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने अपने सभी हवाई अड्डों पर 15,नवंबर,2016 (अर्थात 14 नवंबर, 16 मध्य रात्रि) से 21 नवंबर,2016 (2359 घंटे)तक नि:शुल्क कार पार्किंग सेवा की अवधि बढाई ।

नई दिल्ली , 14 नवंबर ,2016

संपूर्ण राष्ट्र में मुद्रा के विमुद्रीकरण(रूपये 1000 एवं रूपये 500 के नोट) के कारण नागरिक मुद्रा की कठिनाईयों का सामना कर रहें हैं । अत: भाविप्रा ने भारत सरकार के इस अभियान में समर्थन देने के लिए तथा विमान यात्रियों एवं हवाई अड्डा प्रयोगकर्ताओं की यथा संभव सहायता करने का निर्णय लिया है।

मुद्रा नोट के विमुद्रीकरण के कारण मुद्रा कठिनाई के वर्तमान संकट की स्थिति में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा)ने 14,नवंबर,2016 की मध्य रात्रि से 21 नवंबर,2016 तक राष्ट्र के हवाई अड्डा प्रयोगकर्ताओं की सहायता के रूप में कार पार्किंग प्रभार में छूट देने कर

निर्णय लिया है।

तदनुसार, सभी भाविप्रा हवाई अड्डों के विमानपत्तन निदेशकों को निदेश दिए गए हैं । किसी भी पूछताछ, यदि काई हो, के लिए भाविप्रा के संबंधित विमानपत्तन निदेशक से संपर्क किया जा सकता है ।

....

जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जारी
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें।
म.प्र (जनसंपर्क), 9811521881,011-24622787
संख्या. 50/2016-17

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

प्रैस विज्ञप्ति

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 31.12.2016 तक किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपने हवाई अड्डों पर अस्थायी आधार पर मुद्रा विनिमय पटल नि:शुल्क खोलने एवं प्रचालित करने की अनुमति दी ।

नई दिल्ली , 17 नवंबर, 2016

भारत सरकार द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में मुद्रा के विमुद्रीकरण (रूपये 1000 एवं रूपये 500 के नोट) के निर्णय के कारण हवाई अड्डा प्रयोगकर्ताओं एवं विमान यात्रियों को मुद्रा कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

अत: इस अभियान में समर्थनकरने एवं हवाई अड्डा प्रयोगकर्ताओं एवं विमान यात्रियों की सुविधा हेतु, भाविप्रा ने स्थान की उपलबधता के आधार पर देशभर के अपने सभी हवाई अड्डों पर 31 दिसंबर 2016 तक किसी भी वाणिज्यिक बैंको को स्थान एवं बिजली इत्यादि का कोई प्रभार

अधिरोपित किए बिना मुद्रा की विनिमय हेतु मुद्रा विनिमय पटल (छोटे) को खोलने एवं प्रचालित (अस्थायी आधार पर) करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों/ भाविप्रा हवाई अड्डो के विमानपत्तन निदेशकों को निदेश दिए गए हैं। किसी भी पूछताछ, यदि कोई हो, हेतु क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ संबंधित हवाई अड्डे के विमानपत्तन निदेशक से संपर्क किया जा सकता है ।

::

जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जारी
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें।
म.प्र (जनसंपर्क), 9811521881,011-24622787
संख्या. 51/2016-17

<u>भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण</u>

<u>प्रैस विज्ञप्ति</u>

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा)द्वारा'हरित भविष्य' हेतु पुन: शपथ लेना।

नई दिल्ली, 22 नवंबर , 2016

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में रद्दी कागजों की रिसाइकलिंग को बढावा देने के लिए तथा मंत्रालय को फिर से रिसाइकल्ड कागज की आपूर्ति हेतु कागज रिसाइकलिंग इकाई (भाविप्रा द्वारा सीएसआर के अंतर्गत की गई पहल),वसंतकुंज,नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के रद्दी कागजों की रिसाईकलिंग के लिए वित्त मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर एक और उपलब्धि हासिल की।

भाविप्रा की ओर से अध्यक्ष , डा.गुरूप्रसाद महापात्र द्वारा सुश्री एनी जी.मैथ्यूज, संयुक्त सचित, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वित्त मंत्रालय में स्वच्छ पखवाडा के आरंभ तथा स्वच्छता शपथ समारोह के अवसर पर श्री अरूण जेटली, माननीय वित्त मंत्री ,वित्त सचिव, सचिव (व्यय) तथा वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में श्री राकेश कालरा,क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक(उ.क्षे) ने 15 नवंबर

2016 को सुश्री एनी,जी. मैथ्यूज, संयुक्त सचिव,व्यय विभाग के साथसमझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।

भाविप्रा कागज रिसाइकलिंग इकाई पहले से ही स्वयं के लिए, एवं नागर विमानन मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, डीजीसीए,बीसीएएस,सीआईसीएफ,दिल्ली पुलिस इत्यादि के लिए रद्दी कागजो की रिसाइकलिंग कर रही है।

::

जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जारी
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें।
म.प्र (जनसंपर्क), 9811521881,011-24622787
संख्या. 52/2016-17

श्री अरूण जेटली, माननीय वित्त मंत्री ,वित्त सचिव, सचिव (व्यय) तथा वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में रद्दी कागजों की रिसाइकलिंग को बढावा देने के लिए तथा मंत्रालय को फिर से रिसाइकल्ड कागज की आपूर्ति हेतु श्री राकेश कालरा, क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (उ.क्षे) ने सुश्री एनी,जी. मैथ्यूज, संयुक्त सचिव,व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।

<u>**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**</u>

<u>**प्रैस विज्ञप्ति**</u>

भारत सरकार के डिजीटल भुगतान अभियान के समर्थन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)ने भाविप्रा के सभी हवाई अड्डों पर 29 नवंबर,2016 (00:01 घंटे) से कार पार्किंग प्रभारों को स्वीकार करने के लिए ई-भुगतान का लेन-देन आरंभ किया।

नई दिल्ली, 27 नवंबर, 2016

भाविप्रा द्वारा सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर 14 नवंबर,2016 की मध्यरात्रि से 28 नवंबर,2016 की मध्यरात्रि तक नि:शुल्क कार पार्किंग सेवा प्रदान की गई ।

रूपये 500 एवं रूपये 1000 के नोट का विमुद्रीकरण होने पर, भाविप्रा ने भारत सरकार के डिजिटल भुगतान अभियान के समर्थन में विमान यात्रियों एवं हवाई अड्डा प्रयोगकर्ताओं की सुविधा हेतु 28 नवंबर,2016 की मध्यरात्रि से अपने सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर डिजिटल भुगतान प्रकिया को आरंभ किया है तथा कार पार्किंग प्रभारों को डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वैलेट तथा अन्य डिजिटल भुगतान विधि का प्रयोग करते हुए ई- भुगतान लेन-देन के माध्यम से स्वीकार करना प्रारंभ किया है।

अब, 29 नवंबर,2016 (00:01 घंटे) से, भाविप्रा ने राष्ट्र में अपनेस्भी प्रचालनात्मक हवाई अड्डे पर कार पार्किंग प्रभार/शुल्क को ई- भुगतान लेन-देन के माध्यम से लेना आरंभ कर दिया है ।

जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जारी
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें।
म.प्र (जनसंपर्क), 9811521881,011-24622787
संख्या. 53/2016-17